पत्र संख्या-35/2024/1318/78-2-2024-ई-1052026

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा,

प्रबन्ध निदेशक,

यूपीएलसी, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 03 सितम्बर,2024

विषय- उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021 के अन्तर्गत मेसर्स एसकेवीआर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को दो ग्रिड लाइनों द्वारा विद्युत आपूर्ति का लाभ अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

'उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021' के अन्तर्गत मेसर्स एसकेवीआर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भूखण्ड सं0 बी-11,12,13 सेक्टर-132, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर में तीन चरणों में 120 मेगावॉट क्षमता के डाटा सेन्टर पार्क की स्थापना के लिए लगभग रु0 2692.00 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर माननीय मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1398/78-2-2022-254 एलसी/2019 दिनांक 09 नवम्बर 2022 के क्रम में नोडल संस्था-यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट क्रमांक-यूपीएलसीःडाटा सेन्टर पॉलिसीः2021(SKVR)/1245 दिनांक 16 नवम्बर 2022 निर्गत किया गया है, जिसके द्वारा निवेशक को निम्नलिखित विवरणानुसार वित्तीय एव गैर वित्तीय प्रोत्साहन कतिपय शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये गये हैंः-

(धनराशि रु0 करोड़)

वित्तीय प्रोत्साहन			
विवरण	निवेशक द्वारा मांगी गई धनराशि	नीति के अधीन अनुमन्यता	अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन
भूमि उपादान	नीति के अनुसार	नीति के प्रस्तर 7.1 (ब) के अनुसारः-	निवेशक द्वारा भूमि, नीति प्रख्यापन से पूर्व ली गई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		•मध्यॉचल एवं पश्चिमॉचल क्षेत्रों में राज्य अभिकरणों से भूमि क्रय करने/पट्टे पर लेने पर भूमि की प्रचलित सेक्टर दरों पर 25 प्रतिशत। •बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्रों में राज्य अभिकरणों से भूमि क्रय करने/पट्टे पर लेने पर भूमि की प्रचलित सेक्टर दरों पर 50 प्रतिशत। •कुल परियोजना लागत का 7.5 प्रतिशत अथवा रु0 75 करोड़, जो भी कम हो।	है, अतः नीति के अन्तर्गत छूट की अनुमन्यता नहीं।
ब्याज उपादान	150.00 वास्तविक आधार पर	नीति के प्रस्तर 7.1 (अ) के अनुसार:- प्रति वर्ष रु0 10 करोड़ के प्रतिबन्ध सहित 7 वर्षों तक वार्षिक ब्याज के 60 प्रतिशत तक जिसकी कुल सीमा प्रति पार्क रु0 50 करोड़ होगी।	वास्तविक आधार पर अधिकतम रु0 50.00 करोड़ तक अनुमन्यता
स्टाम्प ड्यूटी छूट	0.742 वास्तविक आधार पर	नीति के प्रस्तर 7.1 (स) के अनुसार:- • भूमि के क्रय/पट्टे हेतु प्रथम ट्रॉजेक्शन (प्राधिकरण/ भू-स्वामी से डाटा सेन्टर पार्क को) पर स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत तथा द्वितीय ट्रॉजेक्शन (डाटा सेन्टर पार्क से डाटा सेन्टर इकाई को) पर 50 प्रतिशत छूट। • स्टाम्प शुल्क से छूट बैंक गारण्टी के सापेक्ष प्रदान की जाएगी, जिसे वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात अवमुक्त कर दिया जाएगा।	मेसर्स एसकेवीआर द्वारा स्टाम्प शुल्क अदा नहीं की गई है, अतः उन्हें स्टाम्प ड्यूटी छूट की अनुमन्यता नहीं है।
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट	56.94 वास्तविक आधार पर	नीति के प्रस्तर 7.2 (द) (i) के अनुसार:- डाटा सेन्टर इकाइयों को वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात 10 वर्षों की अवधि के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।	डाटा सेन्टर पार्क्स हेतु अनुमन्य नहीं
ट्रॉसमिशन तथा व्हीलिंग शुल्क	नीति के अनुसार	नीति के प्रस्तर 7.1 (द) (ii) के अनुसार:- • विद्युत ऊर्जा के इन्ट्रास्टेट (राज्य के अन्दर) उपयोग पर व्हीलिंग शुल्क/ ट्रॉसमिशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट परियोजना के चालू होने की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। • इन्ट्रास्टेट ट्रॉसमिशन प्रणाली पर ऊर्जा के अन्तर्राज्यीय विक्रय हेतु व्हीलिंग शुल्क/ ट्रॉसमिशन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट	नीति के अन्तर्गत अनुमन्यता।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		परियोजना के चालू होने की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। • राज्य के बाहर से ऊर्जा के आयात पर इन्ट्रास्टेट प्रणाली पर 5 वर्षों तक ट्रॉसमिशन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट। यह केवल उन्हीं परियोजनाओं पर लागू होगी जो नीति की अवधि (5 वर्षों) के दौरान परिचालनरत / आरम्भ हो गये हों	
कोई अन्य उपादान	वास्तविक आधार पर		अनुमन्य नहीं।

2- निवेशक को नीति के तत्कालीन प्राविधानों के अनुरूप दो ग्रिड लाइनों द्वारा विद्युत आपूर्ति का लाभ अनुमन्य नहीं किया गया है।

3- आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1399/78-2-2022/10 (एम)/2021 दिनांक 07 नवम्बर 2022 द्वारा ''उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021'' के संशोधन उपरान्त, मेसर्स एसकेवीआर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वर्तमान में प्रचलित ''उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021'' के अन्तर्गत दो ग्रिड लाईनों द्वारा विद्युत आपूर्ति का लाभ प्रदान किये जाने की मांग की गई है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदया मेसर्स एसकेवीआर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड को ''उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021'' के अन्तर्गत दो ग्रिड लाईनों द्वारा विद्युत आपूर्ति का लाभ प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

1. निवेशक को एक ग्रिड की लागत (दोनो ग्रिड में जो कम हो, जोकि विचाराधीन प्रकरण में रु0 56,40,00,000/- है) की प्रतिपूर्ति आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा वहन की जायेगी तथा अन्य ग्रिड की लागत डाटा सेन्टर पार्क द्वारा वहन की जायेगी। तद्नुसार नोडल संस्था-यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निवेशक को प्रदत्त लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 16 नवम्बर 2022 को संशोधित किया जायेगा।
2. चूंकि उक्त धनराशि अनुमानित है, अत: नोडल एजेन्सी- यूपीएलसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुमानित व कार्य की वास्तविक लागत की पुष्टि कर जो कम हो, उसी सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।
3. निवेशक द्वारा एक ग्रिड की लागत (दोनो ग्रिड में जो कम हो) की प्रतिपूर्ति हेतु नोडल एजेन्सी को आवेदन परियोजना के व्यवसायीकरण के पश्चात ही किया जा सकेगा।
4. निवेशक को ''उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021'' के अन्तर्गत वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 1398/78-2-2022-254 एलसी/2019 दिनांक 09 नवम्बर 2022 तथा नोडल संस्था-यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट क्रमांक यूपीएलसी: डाटा सेन्टर पॉलिसी:2021(SKVR)/1245 दिनांक 16 नवम्बर 2022 में निहित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध पूर्ववत् रहेंगे।
5. उ0प्र0 डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021 के प्राविधानों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. नोडल एजेन्सी- यूपीएलसी द्वारा सुसंगत शासनादेशों / अधिनियम / विनियम / दिशा-निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

कृपया उक्त निर्णय / दिशा निर्देशों से निवेशक को अवगत कराते हुए प्रकरण में नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या- 1318(1)/78-2-2024- एवं दिनांक तदैव:-</u>

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल महोदया, उ0प्र0।
2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
7- अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
8- अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, नियोजन, न्याय, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, वाणिज्य कर,ऊर्जा,अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, श्रम एवं सेवायोजन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नगर विकास एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
11- जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
12- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
13- अपर निदेशक/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, गौतमबुद्ध नगर।
14- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड।
15- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- निजी सचिव, विशेष सचिव,आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
17- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, गोमती नगर, लखनऊ।
18- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

राहुल सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in